संख्याः 3618 / 1–10–2008–12(73) / 2008टीसी–1

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री बी0एम0मीना
प्रमुख सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2008

विषयः रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर में आपदा प्रबन्धन कोष्ठक हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2008 के में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि संभावित बाढ़ / सूखाग्रस्त जनपदों हेतु रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर में आपदा प्रबन्धन कोष्ठक स्थापित करने हेतु धनराशि रू0 14,77,000 / (रूपये चौदह लाख सत्तर हजार मात्र) आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

E/Manoj/Allot-08(Flood)

5. आपदा राहत निधि से आंवटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्तांकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुभाग–10 को **दिनांक 15 सितम्बर, 2008** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि आपदा राहत निधि के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ पर भुगतान हेतु समर्पित कर दिया जाय।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व विस्तृत विवरण राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जाय कि कितने जनपदों में कौन–कौन से कार्य आपदा राहत निधि से कराये जायेंगे।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3618 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 टी0सी0–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित÷

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग--5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग 6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजाराम)
अनु सचिव

E/Manoj/Allot-08(Flood)